URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (255) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/विविध/ 2015–16 जयपुर, दि03.08.2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त राजस्थान।

विषयः– विधायक/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कार्यकारी संस्था अन्य राजकीय विभाग के द्वारा स्वीकृत कार्यो के सम्पादन बाबत्।

विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यो के सम्पादन हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2010 प्रभावी है। इस क्रम में स्वीकृत कार्य, जिनकी कार्यकारी एजेन्सी अन्य राजकीय विभाग यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आदि है, के तकमीने, तकनीकी स्वीकृति एवं ठेके पर संपादित कार्यो की प्रक्रिया के सम्बन्ध में ग्रामीण कार्य निर्देशिका – 2010 के बिन्दु संख्या– 13.2 में ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अन्तर्गत तैयार दर अनुसूची के आधार पर तकमिनें आदि तैयार कराने का प्रावधान है।

'सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के लिए कार्यकारी संस्था अन्य राजकीय विभाग (लाईन विभाग) होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग में प्रचलित व्यवस्था के साथ–साथ ग्रामीण कार्य निर्देशिका-- 2010 के उक्त प्रावधान के अनुसार कार्यो के निष्पादन/कियान्वयन में आ रही समस्याओं के क्रम में ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2010 के बिन्दु संख्या– 13.2 में "ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अन्तर्गत तैयार दर अनुसूची के आधार पर तकमीना आदि तैयार कराने का" प्रावधान के स्थान पर 'सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के लिए निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"कार्यकारी संस्थाएं एवं लाईन विभाग – कार्यकारी संस्था लाईन विभाग होने की स्थिति में कार्यों के तकमीने तैयार करने, नवीन/संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी करने, कार्यों का मूल्यांकन, उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने, गुणवत्ता नियंत्रण, कार्यों का निरीक्षण के की प्रावधान, निविदाऐं स्वीकृत करने बाबत् प्रावधान संबंधित विभाग के प्रावधानों के अनुसार होंगे परन्तु कार्यों के तकनीकी मापदण्ड, प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं इनमें संशोधन, डेविएशन, अतिरिक्त एवं एक्स्ट्रा आईटम अनुमत करने के प्रावधान, कार्य पूर्ण कराने की अवधि, राशि के समायोजन की प्रक्रिया इस निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार ही होंगे।"

अतः सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के लिए कार्यकारी संस्था लाईन विभाग होने की स्थिति में उक्तानुसार संशोधित प्रावधान के साथ संबंधित विभाग कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण भी सम्बंधित विभाग निर्धारित मापदण्ड

अनुसार ही किये जावेगे, परन्तु कार्यों के तकनीकी मापदण्ड, प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं इनमें संशोधन, डेविएशन, अतिरिक्त एवं एक्स्ट्रा आईटम अनुमत करने आदि की कार्यवाही विभाग द्वारा शिड्युल ऑफ पॉवर (परिपत्र दिनांक 17.09.2014) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे''

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा।
6. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग।
7. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ग्रा.वि.प्र) जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
9. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण/जल संसाधन/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग।
11. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन सचिव/वित्तीय सलाहकार/समस्त अधीक्षण अभियंता गण, ग्रावि एवं परावि/ईजीएस।
12. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मों.एवं.मू) ग्रावि को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
13. अधीक्षण अभियंता पंचायती राज/ईजीएस ग्रामीण विकास विभाग।
14. अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर समस्त राजस्थान।
15. अधिशाषी अभियन्ता ईजीएस/अभि जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
17. रक्षित पत्रावली।

3/11/16
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)